रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2001/चैत्र 21, 1923
No. 97] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2001/CHAITRA 21, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2001

सं. टीएएमपी/52/2000-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) पर कोयले का चट्टा लगाने के लिए प्रभारों से संबंधित तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/52/2000-सीपीटी

तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) आवेदक

बनाम

कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) प्रतिवादी

आदेश

(मार्च, 2001 के 28वें दिन पारित किया गया)

यह मामला कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) पर कोयले का चट्टा लगाने के लिए भंडारण प्रभारों के संबंध में तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित है।

2.1 तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) ने अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें कही हैं :

(i) चेन्नई, विशाखापट्टणम और पारादीप पत्तनों में प्लॉट किराया कोयले का चट्टा लगाने के लिए आबंटित क्षेत्र के आधार पर वसूल किया जाता है।

(ii) हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) पर भंडारण प्रभार एक माह के दौरान रखे गए अधिकतम स्टॉक पर विचार करके 'प्रति टन' आधार पर वसूल किए जाते हैं।

2.2 तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) ने अनुरोध किया है कि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) पर भंडारण किराये की वसूली को प्रति टन आधार पर प्रभार वसूल करने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर अन्य महापत्तनों में लागू प्रणाली के अनुसार अधिगृहीत क्षेत्र के आधार पर संशोधित किया जाए।

3. यह अभ्यावेदन टिप्पणियों के लिए सीपीटी को भेजा गया था। सीपीटी ने सूचित किया है कि अपनी संशोधित दरों के मान को निर्धारित करते समय उसके द्वारा टीएनईबीटी के अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। अपनी प्रस्तावित दरों के मान में सीपीटी ने कोयला/अयस्क के स्टॉकपाइल के लिए आबंटित क्षेत्र पर लागू किराया अनुसूची के अनुसार लाइसेंस शुल्क वसूल करने का प्रस्ताव किया है। कोयले पर विलंब शुल्क की वसूली की वर्तमान पद्धति को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

4. यह मामला सीपीटी की दरों के मान में सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के साथ ही कोलकत्ता में 24 नवम्बर, 2000 की संयुक्त सुनवाई के दौरान रखा गया था।

5. इस प्राधिकरण ने आज इससे पहले सीपीटी की दरों के मान में संशोधन पर अलग से विचार किया था और सीपीटी की संशोधित दरों के मान का अनुमोदन करते हुए एक आदेश पारित किया था। संशोधित दरों के मान में, कोयले पर विलंब शुल्क की वसूली में उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित के अनुसार सीपीटी द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन को अनुमोदित किया जाता है।

6. परिणामस्वरूप, उपयुक्त तर्कों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण तमिलनाडु बिजली बोर्ड के अभ्यावेदन को व्यर्थ मान कर उसका निपटान करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2001/असधा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2001

No. TAMP/52/2000-CPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation submitted by the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) relating to storage charges for stacking of coal at the Haldia Dock Complex (HDC) of the Calcutta Port Trust (CPT), as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/52/2000-CPT

Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) — Applicant

Vs.

The Calcutta Port Trust (CPT) — Respondent

ORDER

(Passed on this 28th day of March 2001)

This relates to a representation received from the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB), about storage charges for stacking of coal at the Haldia Dock Complex (HDC) of the Calcutta Port Trust (CPT).

2.1 The following points have been made by the TNEB in its representation :

(i) In ports like Chennai, Visakhapatnam and Paradip, plot rent is collected based on the area allotted for stacking of coal.

(ii) At the HDC, storage charges are levied on a 'per tonne' basis considering the maximum stock held during a month.

2.2 The TNEB has requested that the mode of levy of storage rent at the HDC may be revised on the basis of area occupied instead of the present method of levying charges on tonnage basis, as is the system in other major ports.

3. The representation was referred to the CPT for comments. The CPT informed that the representation of the TNEB would be considered by it while framing its revised Scale of Rates. In its proposed Scale of Rates, the CPT has proposed to levy licence fee as per Schedule of Rent applicable for area allotted for stockpile of export coal/ore. The existing method of levy of demurrage on coal has been proposed to be deleted.

4. This cae was taken up in a joint hearing on 24 Nov. 2000 in Kolkata alongwith the proposal for the general revision of Scale of Rates of the CPT.

5. The revision of Scale of Rates of the CPT was considered separately by this Authority earlier today and an Order approving the revised Scale of Rates of the CPT was passed. In the revised Scale of Rates, the change in levy of demurrage on coal proposed by the CPT, as mentioned in paragraph 3 above, has been approved.

6. In the result and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority disposes of the representation of the TNEB as superfluous.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT. III/IV/143/2001/Exty.]

Printed by the Mana ·, Govt. of India Press, Rin Road Ma· ›uri New Delhi-110064